:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूँगरपूर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :– मनसुखराम डामोर आर.ए.एस.

मूकदमा नम्बरः– 9/24

1. श्री हरिशचन्द्र पिता रूपा मीणा उम्र वयस्क जाति मीणा निवासी चकधनगांव तहसील चिखली
2. श्री गौतमलाल पुत्र लक्ष्मण मीणा उम्र वयस्क जाति मीणा निवासी चकधनगांव तहसील चिखली
3. श्री कन्हैयालाल पिता रूपा मीणा उम्र वयस्क जाति मीणा निवासी चकधनगांव तहसील चिखली
4. श्रीमती अनिता पुत्री लक्ष्मण मीणा उम्र वयस्क जाति मीणा निवासी चकधनगांव तहसील चिखली
5. श्रीमती कल्पना पुत्री लक्ष्मण मीणा उम्र वयस्क जाति मीणा निवासी चकधनगांव तहसील चिखली
6. श्री प्रकाश पुत्र लक्ष्मण मीणा उम्र वयस्क जाति मीणा निवासी चकधनगांव तहसील चिखली
7. श्रीमती प्रमीला पुत्री लक्ष्मण मीणा उम्र वयस्क जाति मीणा निवासी चकधनगांव तहसील चिखली
8. श्रीमती मंजु पुत्री लक्ष्मण मीणा उम्र वयस्क जाति मीणा निवासी चकधनगांव तहसील चिखली
9. श्रीमती शान्ति पत्नि लक्ष्मण मीणा उम्र वयस्क जाति मीणा निवासी चकधनगांव तहसील चिखली

बनाम

1. श्री कान्तिशंकर पिता धुला पारगी उम्र वयस्क जाति मीणा निवासी चकधनगांव तहसील चिखली।
2. श्री नन्दुलाल पिता धुला पारगी उम्र वयस्क जाति मीणा निवासी चकधनगांव तहसील चिखली
3. श्री प्रभुलाल पिता धुला पारगी उम्र वयस्क जाति मीणा निवासी चकधनगांव तहसील चिखली
4. श्री रामा पिता धुला पारगी उम्र वयस्क जाति मीणा निवासी चकधनगांव तहसील चिखली
5. श्री लालु पिता धुला पारगी उम्र वयस्क जाति मीणा निवासी चकधनगांव तहसील चिखली
6. श्री रमेश पिता धुला पारगी उम्र वयस्क जाति मीणा निवासी चकधनगांव तहसील चिखली
7. श्री राजेंग पिता धुला पारगी उम्र वयस्क जाति मीणा निवासी चकधनगांव तहसील चिखली
8. श्री धनजी पिता रावजी पारगी उम्र वयस्क जाति मीणा निवासी चकधनगांव तहसील चिखली
9. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू राजस्व अधिनियम सपठित धारा 151 जा.दी.</u>

उपस्थितः–

01. श्री बालगोविंद पाटीदार वकील प्रार्थीगणं
02. श्री अल्पेश डामोर वकील अप्रार्थीगण।

निर्णय

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि प्रार्थी गांव व अप्रार्थी संख्या 1 से 8 गांव सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा के स्थायी निवासी है। प्रार्थीगण खेतीबाडी व मजदुरी कर अपना व अपने परिवार का जिवन यापन कर रही है।

यह कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा चकधनगांव में खाता संख्या 3 में खसरा नम्बर 100, 101, 102, 138, 152, 153, 154, 24, 25, 27 से 31, 33 से 35 कुल खसरा 17 कुल रकबा 3. 4950 है0 होकर स्थित है जिस पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है।

यह कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी होने के बावजुद अप्रार्थीगण जबरन भूमि हडपने के लिये आये दिन झंगडा फसाद कर परेशान करते है। वादग्रस्त भूमि पर अतिकमण करने की नियत से अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण से झंगडा फंसाद व जान से मारने की धमकीया देते है। जबकि प्रार्थीगण का आराजी पर जन्म से अधिकार निहित है। जिससे लगातार विवाद बढने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का करण लगातार उत्पन्न हो रहा है जिससे मयाद अवधि में प्रस्तुत है।

यह कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी की सीमा में पूर्व में की गई पत्थरों की निशानदेही को खुर्द बुर्द कर दिया है तथा प्रार्थीगण को बेदखल करने की नियत से सीमा की निशानदेही को खुर्द बुर्द कर झगडा फसाद करते है जबकि प्रार्थीगण के कमाई का एकमात्र जरीया कृषि है ऐसे में वादग्रस्त आराजी में काश्त नहीं करने देने पर प्रार्थीगण का परिवार भुखा मर जाएगा। प्रार्थीगण को भारी आर्थिक क्षति होगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है।

यह कि अप्रार्थी संख्या 1 से 7 को जरीये स्थाई निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किया जाने आवश्यक है कि वे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की मौजा चकधनगांव में खाता संख्या 3 खसरा नम्बर 154, 25, 29, 31 व 33 रकबा क्रमशः 0.2832, 0.1780, 0.2103, 0.0243, 0.0324 है0 में किसी प्रकार का विवाद नहीं करे व प्रार्थी को काश्त करने में रूकावट उत्पन्न नहीं करें।

यह कि प्रार्थीगण की मौजा चकधनगांव में खाता संख्या 3 खसरा नम्बर 154, 25, 29, 31 व 33 रकबा क्रमशः 0.2832, 0.1780, 0.2103, 0.0243, 0.0324 है0 वादग्रस्त आराजी का पत्थर गढी कराने आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 व 5से 8 बाद तामिल उपस्थित व इनकी ओर से एडवोकेट श्री श्रवण रावल ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 27.11.2024 को पेश हुई। अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 लम्बे समय से अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अन्य अप्रार्थीगण के वकील द्वारा जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते तहसीलदार चिखली में नियत की गई।

पत्रावली दिनांक 15.01.2025 को पेश हुई। तहसीलदार चिखली उपस्थित होकर राजकीत प्रभावित नहीं होना बताया व कोइ आपत्ति जाहिर नहीं की। पत्रावली में वकुलया पक्षकार की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। अतः पत्रावाली में उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों के आधार पर मै निर्णय करना उचित समझता हूँ।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खाता संख्या 3 खसरा नम्बर 154, 25, 29, 31 व 33 रकबा क्रमशः 0.2832, 0.1780, 0.2103, 0.0243, 0.0324 है0 ग्राम चकधनगांव तहसील चिखली की फर्द पैमाईश दिनांक 18.06.2024 के अनुसार पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी कार्य हेतु नियमानुसार शुल्क प्रार्थी तहसील चिखली में जमा करावे शुल्क जमा होने पर तहसीलदार चिखली पत्थरगढी कार्य सम्पन्न करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनसुखराम डामोर)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली